जारी प्रति 30.6.10

सं0– 695 /IV(2)–श0वि0–10–68(सा0)/09

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादून: दिनांक–30 जून, 2010

विषय:– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नवीन योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन योजनाओं की घोषणा की गयी है :–

1– मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना।
2– मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना।
3– पं0 दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

उक्त योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनायें तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। अतएव योजनाओं से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों की प्रतियां सभी नगर निकायों/जिलाधिकारियों/आयुक्तों को प्रेषित करते हुए योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

योजनाओं की सॉफ्ट कापी (सीडी) संलग्न है। अतएव पुस्तिका के रूप में दिशा निर्देश की आवश्यक प्रतियां तैयार करा ली जाय एवं मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन हेतु 100 प्रतियां पृथक से भी उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,

संलग्न:–यथोक्त्।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

1-6-2010

सं0 69 (1)/IV(2)-श0वि0–10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को अवस्थापना विकास आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त योजनाओं के दिशा–निर्देश (सीडी संलग्न) सहित नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निधिमणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

1-6-2010

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना

दिशा निर्देश–2010

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना

1. प्रस्तावना

शहरों के विकास के लिए केन्द्र सहायतित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं के संचालन के बावजूद विकास के कई ऐसे क्षेत्र है, जो इन योजनाओं से न तो आच्छादित हो पा है और न ही राज्य के सभी नगरों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। अतएव इस गैप की पूर्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी अवस्थापना विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2. उद्देश्य

2.1 स्थानीय निकायों में मुख्यतः स्वच्छता, ड्रेनेज, वर्षा जल दोहन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था तथा अन्य अवस्थापकीय सुविधाओं को प्रदान करते हुए नगर का विकास करना।

2.2 भारत सरकार एवं वाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि, के उपरान्त बचे अवस्थापनात्मक आवश्यकताओं के अन्तर (गेप) को पूर्ण करने हेतु अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्यो के लिए वित्त पोषण, जिससे राज्य में स्थित नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं/संरचनाओं का विकास हो सकें।

3. योजना के घटक

3.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2000 की पूर्ति के उद्देश्य से योजनान्तर्गत सहायता प्रदान की जायेगी), इसके अन्तर्गत घरों से कूड़ा संग्रहण, सैग्रीगेशन एट सोर्स, संग्रहित कूड़े का परिवहन एवं निस्तारण, कूड़े की कम्पोस्टिंग तथा वैज्ञानिक भू–भरण आदि कार्यो के लिए आउटसोंसिंग अनुमन्य होगी। सड़कों, नाली/नालों आदि की सफाई निकायों के सफाई कर्मियों/स्वच्छता समितियों के माध्यम से करायी जायेगी जिसके लिए इस योजना के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

3.2 जन शौचालयों, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना (राष्ट्रीय स्वच्छता नीति 2008 के अन्तर्गत निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ एवं खुले में गन्दगी रहित क्षेत्र बनाने सम्बन्धी योजनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जायेगी)।

3.3 ड्रैनेज (नाले एवं बाढ़ के पानी वाले नालों का निर्माण एवं सुधार/सड़क–नालियों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण)

3.4 वर्षा जल दोहन सम्बन्धी योजना

3.5 आपदा प्रबन्धन/निराकरण सम्बन्धी अवस्थापना

3.6 निकाय की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार।

4. अनुदान की सीमाः–

4.1 स्वीकृत परियोजना के लिए निकाय का अंश 30 प्रतिशत तथा राज्यांश 70 प्रतिशत होगा। स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश प्रथम किस्त के रूप में 30 प्रतिशत द्वितीय किस्त एवं 30 प्रतिशत तृतीय किस्त के रूप में अवमुक्त किया जायेगा। निकाय अंशदान भी इसी अनुपात में व्यय किया जायेगा।

4.2 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं स्वच्छता/सफाई व्यवस्था/जन शौचालय, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापकीय कार्यो हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर यूजर चार्जेज एवं निकाय अंश को दृष्टिगत रखते हुए राज्यांश दिया जायेगा।

4.3 प्रथम किश्त (जिसमें निकाय अंशदान एवं राज्यांश सम्मिलित है) के 80 प्रतिशत उपयोग हो जाने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सत्यापन के उपरांत द्वितीय किश्त अवमुक्त करने की संस्तुति शासन को की जायेगी। तृतीय किश्त के लिए भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

5. वित्तीय व्यवस्था

5.1 योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं स्वच्छता/सफाई व्यवस्था/अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापकीय कार्यो हेतु स्वीकृत प्रस्तावों पर वित्तीय स्वीकृति ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद में प्राविधानित बजट से की जायेगी।

5.2 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से की जायेगी।

5.3 अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार मदों में प्राविधानित बजट से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

6. परियोजना की संस्तुति/स्वीकृति की प्रक्रियाः–

6.1 निकायो से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृती जारी करने हेतु निम्न पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

6.1.1 प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव पालिका अध्यक्ष/मेयर द्वारा अग्रसारित होने चाहिए।

6.1.2 परियोजनाओं का अनुश्रवण, मूल्याकंन एवं उपयुक्त प्रस्तावों के चयन हेतु निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक 'स्क्रीनिंग कमेटी' गठित की जाएगी, जिसके सदस्य निदेशक, शहरी विकास द्वारा नामित किए जाएगें। उक्त समिति द्वारा परियोजनाओं का चयन कर प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1.3 शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित परियोजना प्रस्तावों का शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा।

6.1.4 टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत परियोजना, जो रू0 1.00 करोड से कम की होगी के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 403/XXXVII(1)/2008 दिनांक 20–5–2008 के प्रस्तर–2 (i) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार व्यय वित्त समिति की भॉति, रू0 1 करोड़ से रू0 5 करोड़ तक की परियोजनाओं का शासन स्तर पर गठित निम्नलिखित विभागीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा:–

1–	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास	अध्यक्ष
2–	अपर सचिव, शहरी विकास	सदस्य
3–	निदेशक शहरी विकास निदेशालय	सदस्य
4–	सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य
5–	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सम्बन्धित नगर से)	सदस्य
6–	कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता	सदस्य

उक्त समिति द्वारा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20–5–2008 के प्रस्तर–2 (ii) के बिन्दु (i) से (xii) तक का भी परीक्षण किया जायेगा।

6.1.5 रू0 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर उपरोक्तानुसार विभागीय समिति की संस्तुति के उपरान्त व्यय वित्त समिति की संस्तुति हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

6.1.6 उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

7. स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण:–

7.1 सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता की मासिक रूप से अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जायेगा, जिसकी निरीक्षण आख्या शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.2 निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा भी परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा तथा परियोजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। थर्ड पार्टी मानिटरिंग एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–3 ''निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति'' के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

7.3 निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति धीमी पायी जाती है, तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/निकाय के अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7.4 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 163/XXXII(7)/2008 दिनांक 22–5–2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था आगणन में सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित रू0 5.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी मानिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

8. सामान्य निर्देश

8.1 विस्तृत परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में, जो ए–4 साइज सफेद बाण्ड पेपर में डबल लाइन स्पेस में टंकित हो, सॉफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.2 परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना का वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक एवं लाभप्रदता का विश्लेषण भी सरल एवं सुस्पष्ट भाषा में बिन्दुवार टंकित होना चाहिए।

8.3 परियोजना प्रस्ताव के साथ भूमि की उपलब्धता एवं उसके निर्विवाद होने का सत्यापन करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

8.4 परियोजना प्रस्ताव समस्त प्रासंगिक आंकडों, जानकारियों एवं दस्तावेजों से परिपूर्ण होना चाहिए। अधूरे परियोजना दस्तावेज स्वीकार्य नही होंगे ।

8.5 अनुमानित लागत निर्धारण संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्वक निकाली जाए। सामयिक/अस्थायी मूल्य निर्धारण उपलब्ध कराते हुए अधिकतम सीमा तक तथ्यात्मक रहें। कार्य के समयबद्ध पूर्णता हेतु यह संस्तुत किया जाता है कि कीमत चढ़ाव एवं आडिट लागत संबंधी मदों को वर्षवार बजट एवं वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया जाए।

8.6 परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में विशेषज्ञ सलाह, पर्याप्त पृष्ठभूमि अनुसंधान एवं अध्ययन के आधार पर निर्मित होना चाहिए जिससे संस्तुति समिति को प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने में कठिनाई न हो।

8.7 पालिका द्वारा योजना के अन्तर्गत समुदाय हेतु पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित समस्त परिसम्पत्तियों का अभिलेखिकरण सुनिश्चित करेंगे।

8.8 निकाय निधि तथा user charges एवं अन्य स्रोतों से अधिकतम वित्त पोषण सम्मिलित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.9 परियोजनाओं का लागत–लाभ के दृष्टिकोण से उपयुक्त होना भी परीक्षण/चयन का एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा।

8.10 उन निकायों के परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें अवस्थापकीय कार्यो हेतु अन्य किसी भी स्रोत/योजना से वित्त पोषण न हुआ हो।

8.11 परियोजना प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ में परियोजना के सम्बन्ध में सारांश के रूप में अनुलग्नक–1 में उल्लिखित 'परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप' का बिन्दुवार टंकित होना चाहिए, जो अधिकतम दो पृष्ठ का हो।

8.12 अधिकृत एजेन्सी से योजना निर्माण, मृदा परीक्षण, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जॉच तथा ब्लाक रजिस्टर व्यवस्था आदि तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु व्यय किये जाने के लिए गठित आगणन में प्राविधान किया जायेगा।

8.13 निकायों के द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वार्ड, जिसकी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वार्ड की कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत से अधिक है, में अवस्थापकीय कार्य कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पृथक से प्रस्ताव उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए जनसंख्या का पुष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रस्तावों में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि यह प्रस्ताव अनुसूचित जाति उपयोजना/अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।

8.14 परियोजना के क्रियान्वयन में व्यतिक्रम, निधियों के दुरूपयोग की दशा में अवमुक्त निधि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयको की वसूली) अधिनियम 1972 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन भू–राजस्व के रूप में ब्याज सहित वसूल की जायेगी अथवा निकाय द्वारा स्वीकृत अनुदान का दुरूपयोग किये जाने की दशा में निकाय को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

9. पात्रता

9.1 स्थानीय निकाय द्वारा जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों (reforms) को लागू करने हेतु एक समयबद्ध कार्ययोजना के सम्बन्ध में शहरी विकास निदेशालय तथा निकाय के मध्य MoU गठित किया जायेगा। MoU के उल्लंघन की स्थिति में इस योजना में सहायता बन्द कर दी जायेगी और योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को निकाय से वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

9.2 निकायों द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी। उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे।

9.3 सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की 80 प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित किया जाना, जिसे शत–प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता भी हों और समस्त अनुमन्य आय स्रोतो 'के पूर्ण क्रियान्वयन (exploitation) की योजना बनाकर उसे समयबद्ध रूप से लागू करना भी अनिवार्य शर्त होगी, जिसका विश्लेषण निदेशक, शहरी विकास द्वारा किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे।

9.4 निकाय द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु यूनिट ऐरिया सिस्टम लागू किया जाना अनिवार्य होगा। सम्पत्ति कर की दर वार्षिक मूल्याकंन की कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित होगी। तद्नुसार अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव निदेशक, शहरी विकास द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

9.5 पालिका अधिनियम की धारा 128(1) तथा 298 के अन्तर्गत निकायों द्वारा आरोपित किये जा सकने वाले करों व शुल्कों को निकाय में निम्न प्रकार लागू किया जाएगा :–

9.4.1 धारा 128(1) के अन्तर्गत भवन कर के आरोपण के साथ–साथ उपनियम बनाकर कोई एक अन्य कर भी आरोपित करना अनिवार्य होगा।

9.4.2 धारा 298 के अन्तर्गत अधिकांश विषयों के सम्बन्ध में निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और उनके अनुरक्षण के प्रयोजन हेतु उपविधि बनाना एवं शासनादेश संख्या 2399/नौ–9–94–204/जनरल/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 में दी गई सूची के अनुसार विभिन्न विषयों में दिये गये लाईसेन्स शुल्कों में से प्रतिवर्ष कम से कम 02 विषयों पर शुल्कों के आरोपण के सम्बन्ध में उपविधि बनाना एवं शुल्क आरोपित करना।

9.6 शहर में open defecation free पूर्णतया स्वच्छ वातावरण कायम करने तथा वैज्ञानिक/Scientific प्रक्रिया द्वारा पूर्ण सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हासिल करने के उद्देश्य से योजना बनाकर समयबद्ध रूप से लागू करना भी एक अनिवार्य शर्त होगी, जिसके उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 एवं अपशिष्ट नियमों, 2000 के अनुसार पूर्णतम स्वच्छ शहरों की स्थापना होगा एवं इसमें समस्त मानवीय एवं सालिड वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण एक मुख्य उद्देश्य होगा।

9.7 नगर निकायों द्वारा प्रस्तावित अवस्थापना विकास योजनाओं पर शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में परियोजना लागत का निर्धारित निकाय अंशदान के रूप लगाना अनिवार्य होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

9.8 योजनान्तर्गत धनराशि उन्हीं निकायों को स्वीकृत की जायेगी जो निकाय के वर्तमान प्रशासनिक व्यय को 05 वर्षो के अन्तराल में 50 प्रतिशत तक की कमी करने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत करेगी। प्रशासनिक व्यय में कमी कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष करनी अनिवार्य होगी। वेतन समिति के प्रतिवेदन में व्यक्त सुझाव के क्रम में स्थानीय निकाय के प्रशासनिक व्यय, उनकी आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

9.9 ''शहरी अवस्थापना विकास योजना'' मद से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को स्थानीय निकायों द्वारा पी0एल0ए0 में रखा जायेगा तथा जिन निकायों के पास पी0एल0ए0 खाता उपलब्ध नहीं है, वे पी0एल0ए0 खाता खुलवायेंगे।

9.10 पूर्व में विभिन्न स्रोतों से स्वीकृत योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय/भौतिक विवरण उपलब्ध करा दिये गये हों तथा अर्जित ब्याज व शेष धनराशि समर्पित कर दी गई हों।

9.11 उन निकायों को धनाबंटन नहीं किया जायेगा, जहां पूर्व से स्वीकृत योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हुआ हो और जिन निकायों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से स्वीकृत धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है, के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

9.12 परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था/विभाग से प्राप्त कर निकाय द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

9.13 निकायों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित परियोजना/कार्य, किसी अन्य योजना/विभाग/मद से पूर्व में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

9.14 निकायों द्वारा 03 वर्ष से पूर्व निर्धारित सभी यूजर्स चार्जेज/विभिन्न शुल्क की दरों में वर्तमान मुद्रा स्फीति के index के आधार पर बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जायेगी तथा निकायों द्वारा अपने उपनियमों में यह प्राविधान भी किया जायेगा कि प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात् मुद्रा स्कीति के index के आधार पर यूजर्स चार्जेज/शुल्कों में वृद्धि होगी।

9.15 निकाय द्वारा अपने वार्षिक अधिष्ठान तथा रख–रखाव आदि राजस्व व्ययों की उपरोक्तानुसार optimized कुल मांग के बराबर अथवा उससे अधिक राजस्व आय स्रोत चिन्हित एवं निर्धारित/अध्यावधिक किये गये हों।

9.16 निकाय द्वारा पावर कारपोरेशन तथा जल संस्थान के विद्युत/जल आपूर्ति देयों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो एवं इस हेतु कोई लम्बित देय न हों। इस हेतु सम्बन्धित संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

9.17 कार्मिकों के देय, उनके फण्ड आदि देय तथा राजकीय कर/शुल्क आदि देय अध्यावधि तक जमा किये गये हों।

9.18 निकाय का लेखा अध्यावधिक हो, उन निकायों को सर्वाधिक वरीयता दी जायेगी जिसके लेखा कम्प्यूटरीकृत आधार पर बनाए जा रहे हों।

9.19 निकाय द्वारा आपदा प्रबन्धन की तैयारी एवं जागरूकता से सम्बन्धित कार्यो को क्रियान्वित किया जा रहा हो। इस हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

10. उक्त शर्तो में से क्र0स0–9.1 से 9.13 तक वर्णित शर्तो की अनिवार्य सम्पूर्ति तथा शेष 06 शर्तो में से न्यूनतम 02 शर्तो की पूर्ति परियोजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु आवश्यकीय होगी। निकाय द्वारा शेष शर्तो की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्ययोजना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप

1. **परियोजना शीर्षक**

2. **निकाय का नाम व पता (फोन/फैक्स सहित)**

3. **परियोजना क्षेत्र का विवरण**
   संक्षेप में प्रस्तावित परियोजना हेतु सुनिश्चित क्षेत्र तथा रेल,वायु एवं जल मार्ग से क्षेत्र तक पहुंच स्थान विवरण एवं जनसंख्या का अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां और प्रस्तावित गतिविधियों का उल्लेख कीजिए ।

4. **परियोजना लाभार्थी**
   परियोजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी का विवरण प्रस्तुत करें। उक्त विवरण में गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिला लाभार्थी विषयक विवरण प्रस्तुत करे।

5. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य**
   परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के सम्बन्ध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते है तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जाएगा। परियोजना की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि का वर्णन किया जायेगा।

6. **परियोजना हेतु क्रियाविधि/प्रक्रिया**
   अपनायी जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। परियोजना प्रस्ताव हेतु वाह्य वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता/योगदान प्राप्त किए जाने की स्थिति में इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
   क्या प्रस्ताव को कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता है। वे क्या है ? क्या वे प्राप्त की गई है?

7. **औचित्य**
   यह स्पष्ट करें कि प्रस्तावित गतिविधियों को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाए ? यह स्पष्ट करें कि प्रस्तुत परियोजना में किस प्रकार सफलता प्राप्ति की प्रबल सम्भावना है एवं अवसर तथा जोखिम उपस्थित है।

8. **परामर्श प्रक्रिया**

प्रस्ताव के निर्माण हेतु परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें। विशेषकर स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाये। यदि स्थानीय समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से परामर्श लिया गया है तो उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करें।

9. **क्रियान्वयन**

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित संस्थात्मक संरचना का वर्णन कीजिए । विभिन्न स्तरों के स्टाफ की भूमिकायें एवं दायित्व विशिष्ट रूप से स्पष्ट किये जाए । प्रशासन, लेखा, कार्यक्रम के उद्देश्य एवं अनुश्रवण हेतु अधिकार एवं नियंत्रण प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इस भाग में गतिविधियों के आयोजन का अनुक्रम तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त सूचना दी जाएगी। गतिविधियों की समय सारिणी तथा सूचकांकों को दर्शाया जाये।

10. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**

परियोजना उपलब्धियों को समय–समय पर मापने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी। परियोजना के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति मापक सूचकांको तथा चिन्हों का उल्लेख किया जायेगा। कार्यपूर्ति मापकों की पुर्नजॉच तथा प्रमाणन किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर आख्या दी जायेगी। कार्यपूर्ति ऑकडों का संग्रहण कैसे होगा तथा उनकी पुष्टि किस प्रकार की जायेगी, इसका वर्णन किया जायेगा।

परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के संबंध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जायेगा।

11. **पारदर्शिता**

जनसामान्य को परियोजना संम्बधी सूचना किस प्रकार उपलब्ध होंगी तथा उक्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त की जाएगी, इसका वर्णन किया जाए। पालिका सूचना के अधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधानों को मानने हेतु बाध्य होगी।

12. **परियोजना अवधि–** परियोजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अवधि दर्शायी जायेगी तथा उक्तानुसार पर्ट चार्ट (समयसारिणी) भी तैयार किया जायेगा।

13. **परियोजना लागत सारांश**

निकाय द्वारा अधिकतम 02 वर्षों हेतु बजट मदों की सूचीं संक्षेप मे उल्लेखित करते हुए संलग्न की जाएगी। निकाय अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत भार वहन करने विषयक प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ आवश्यकीय रूप से संलग्न करेगा।

14. **अपेक्षित सुधारो का क्रियान्वयन एवं पात्रता शर्तो का अनुपालन**– निकाय द्वारा प्रस्ताव के साथ स्पष्ट किया जायेगा कि योजना के दिशा–निर्देश के प्रस्तर–9 में अंकित पात्रता शर्तो में से किन शर्तो को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष के सम्बन्ध में निकाय की क्या कार्ययोजना है, स्टेट्स रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।

पद व मोहर सहित पालिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजो की सूची :–

1.परियोजना कार्यक्षेत्र का मानचित्र ।
2.ले–आउट प्लान/ब्लू प्रिंट आदि।
3.बजट इस्टीमेट विवरण।
4.सुधारो के कार्यान्वयन विषयक स्टेट्स रिपोर्ट
5.तकनीकी स्टाफ का विवरण।
6.गत तीन वर्षो की आय–व्ययक विवरण।
7.निकाय की वर्तमान वित्तीय स्थिति।